बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ, पटना – 800001

आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंतर्गत आमंत्रित किये जाने वाले ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया में संशोधन के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वर्तमान में आयोग द्वारा किये जा रहे ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया के क्रम में अथवा उसके बाद नाम, आरक्षण कोटि, जन्म तिथि, लिंग, शैक्षिक योग्यता इत्यादि में संशोधन करने हेतु काफी संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा ई–मेल/अभ्यावेदन के माध्यम से कार्यालय को अनुरोध किया जाता है, जिन्हें विज्ञापन से सबंधित प्रशाखा द्वारा संकलित कर आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत कर उनपर निर्णय प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को उनके द्वारा की गई प्रविष्टि को Edit करने का कोई प्रावधान नहीं है। तदालोक में आयोग द्वारा भविष्य में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों द्वारा की गई प्रविष्टि को Edit करने का प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार है:–

1. रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थियों को उनके Dashboard पर रजिस्ट्रेशन डाटा को Edit करने का Option दिया जायेगा जो Payment करने के पूर्व तक उपलब्ध होगा, इसमें रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी किसी भी प्रविष्टि (नाम, पिता/पति/माता, आरक्षण कोटि इत्यादि) को Edit करने का प्रावधान होगा।
2. **Payment करने एवं आवेदन के Final Submission किये जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गयी प्रविष्टि को पुनः Edit कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद एक सप्ताह का समय दिया जायेगा;** परन्तु वे निम्न प्रविष्टियों में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे:–
   (i) जिन प्रविष्टियों से Fee का निर्धारण प्रभावित होता है:–
      (क) बिहार के मूलवासी Female अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, उनके द्वारा Payment करने के बाद बिहार के मूलवासी Female होने के दावा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
      (ख) बिहार के मूलवासी SC/ST कोटि के अभ्यर्थियों जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, उनके द्वारा Payment करने के बाद बिहार के मूलवासी SC/ST कोटि के दावा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
      (ग) 40% अथवा उससे अधिक प्रतिशत दिव्यांगता वाले Disabled Category के अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, उनके द्वारा Payment करने के बाद दिव्यांगता के प्रतिशत के दावा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
   (ii) Payment करने के बाद अभ्यर्थियों को नाम, पिता/पति/माता के नाम में Edit करने का अवसर नहीं मिलेगा। उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं को छोड़कर शेष Fields में अभ्यर्थी वांछित परिवर्तन कर सकते हैं।
   (iii) वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने गैर–रियायती परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए आवेदन किया है, यदि वे बाद में Edit करके रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटियों में जाते हैं, तो उनके द्वारा Examination Fee के भुगतान की गयी अधिक राशि वापस नहीं होगी।

   उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा विभिन्न विज्ञापनों के अन्तर्गत शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र/अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि की प्रति सहित ऑनलाईन भरे गये आवेदन की हार्ड कॉपी की मांग की जाती है, जिसे अभ्यर्थियों को विज्ञापन में निर्धारित तिथि तक आयोग कार्यालय को स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक से प्राप्त कराना आवश्यक होता है। किन्तु विज्ञापन में अंकित निर्देश के बावजूद कई अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन की हार्ड कॉपी कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी जाती है अथवा किसी कारणवश उनके आवेदन की हार्ड कॉपी कार्यालय को प्राप्त नहीं होती है।

तदालोक में इस समस्या के निदान हेतु ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है:—

1. प्रारम्भिक परीक्षाओं में कार्यालय द्वारा ऑनलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी की मांग नहीं की जाती है, अतः इनमें कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
2. सीधी भर्त्ती के माध्यम से नियुक्ति वाली परीक्षाओं जिनमें शैक्षिक योग्यता के आधार पर एकेडेमिक अंकों की गणना, अनुभव के लिए अंक की गणना एवं अन्य गणना की जाती है, में अभ्यर्थियों से अनुलग्नकों सहित भरे गये आवेदन की हार्ड कॉपी मांगे जाने की प्रक्रिया पूर्ववत् जारी रहेगी।
3. वैसी परीक्षाओं जिनमें एक ही परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की जाती है (जिसमें एकेडेमिक अंकों की गणना, अनुभव के लिए अंक की गणना एवं अन्य गणना की आवश्यकता नहीं है) तथा वैसी मुख्य परीक्षाओं जिनमें प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन भरा जाना एवं अनुलग्नकों सहित भरे गये आवेदन की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय को प्रेषित करना वांछनीय है, के सम्बन्ध में ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया में संशोधन अपेक्षित है, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:—
   (i) इन परीक्षाओं के लिए आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को अनुलग्नक के कॉलम में स्कैन किये गये शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों/अंक पत्रों, आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों आदि को अपलोड करना होगा।
   (ii) वैसी परीक्षाओं जिसमें प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति होती है, के अभ्यर्थियों को अन्य कागजात सहित प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किये गये आवेदन की प्रति साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य होगा।
   (iii) वैसी परीक्षाओं जिसमें लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति होती है, के अभ्यर्थियों को भी अन्य कागजात सहित लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किये गये आवेदन की प्रति साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य होगा।

उक्त क्रम में यह भी निर्णय लिया गया कि वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का लाभ लेते हुए ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और वे Edit करके दूसरे गैर–रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटियों में आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें नये Mobile No. एवं Email ID के माध्यम से नये सिरे से रजिस्ट्रेशन तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण करेगें। पूर्व में उनके द्वारा भुगतान की गयी रियायती परीक्षा शुल्क की राशि वापस नहीं होगी।

23.12.20

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना